निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 23 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग, देहरादून के माह 08/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 28/04/2017 से 09/05/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री दिलीप मट्टू एवं श्री भानु प्रताप संह, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 06/08/2015 से 12/08/2015 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2012 से 07/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत लो.नि. व. से संबं धत समस्त प्रशासनिक, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण, खण्डों को बजट आवंटन तथा अनुश्रवण सम्बन्धी कार्य।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	857.07	857.07	-	-	-	-
2015-16	-	-	1027.59	1027.59	-	-	-	-
2016-17	-	-	1131.15	1131.15	-	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
-NIL-						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता लो.नि. व. स्तर-1

क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, (वृत्त स्तर)

अ धशासी अ भयन्ता, लो.नि. व. (खण्डीय स्तर)

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग, देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016 एवं 08/2016 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। ....का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन......... .... के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'अ'

Para 1: Failure to get develop the automated system process /PWMIS resulted in Wasteful expenditure of ₹ 52.88 lakh

To computerize the works system for the planning, estimation and monitoring of the engineering works. The Public works Department[1], Uttarakhand planned to automate the SOR estimation, management of the work, information sharing to integrate through software and to execute various activities under the following section –Rate Analysis, quantity estimation, amount estimation, tender management, project management, billing management and information management.

Audit of the records of the HOD revealed that:

- In order to develop the above automated system process the department entered an agreement with the company named Soft Tech Engineers Pvt Ltd F-70 LGF kaalkajee, New Delhi on 22-03-2010 for `60.64 lakh[2] and the work was to be complete by 21 September, 2010.
- According to agreement the system integrator/developer was to submit the report of system requirement study (SRS) as per scope of work, development installation and commission of software modules and computerization in accordance to the scope of work (***as per Annexure-1***) and to provide maintenance version upgrade technical support of software for one year.

Scrutiny of records of the department relatedto development ofsoftware revealed that

1. Even after the lapse of 7 years and after incurring ` 52.88 lakh the System integrator, except for SOR estimation automation, failed to develop an application that was requiredfor capacity building in the area of establishing information flow system between offices, uniformity in detail project report, timely disposal of tenders, better project administrative activities, to minimize procedural time, visible process through checking reduction of corrupt practice and to digitize data management to reduce the time cycle.

---

[1]To be used by the PUBLIC WORKS DEPARTMENT for capacity building in the area of establishing information flow system between offices, time updation of schedules of rates, uniformity in detail project report, timely disposal of tenders better project administrative activities, to minimize procedural time, visible process through checking reduction of corrupt practice, to digitize data management to reduce the time cycle.

[2]to support the working of process of developing the automated system the department included charges of ` 8.40 lakh for 2 support operational man power for 1 year @ of 35000 per month.

2. Records of the Department further revealed that the application software provided by the System integrator had not reduce the time cycle:
   - As per requirements the Software was very large causing longer process and was working only with old version of Windows.
   - Only SOR is operational and is utilized by the divisions but it too had errors and is updated manually.
   - In partial operation of the software the technical deficiencies pointed out by the department still existed**.**
   - All other modules under the project were not operational due to technical problems come across by the department. Thus the company failed to deliver PWIMS software to the Department accoding to there requirements and as per agreement. As a result the funds utilized on developing the automated system process, without producing any result, for the department were simply wasted .

On this being asked the department accepted the facts and stated that कार्यालय स्तर पर कई बार फ़र्म को उक्त क मयो के निस्तारण हेतु कहा गया परन्तु फ़र्म द्वारा इनको हरबार अनुबन्ध के अंतर्गत न होना बताया गया व इनको ऑपरेशनल प्रोब्लेम कहा गया जो की उनके अनुसार ए0 एम0 सी0 मे कया जाना है। परन्तु वगत 6-7 वर्षो मे दरो मे वृद् ध एवं तकनीक मे परिवर्तन होने के कारण उक्त की ए0 एम0 सी0 अत्या धक है व सॉफ्टवेयर वर्तमान मे तकनीकी रूप से UPGRADE न हो पाने के कारण उपयोगी नहीं रह गया है। अत: वभागीय स्तर पर अनुबन्ध के अंतिमीकरण की कार्यवाही गतिमान है। कार्यालय के उत्तर से स्वयं लेखा परीक्षा आप त्त की पुष्टि होती है क पी0 डबल्यू0 आई0 एम0 एस0 पर कए गये ` 52.88 लाख व्यय के उपरांत भी वभाग के उद्देश की पूर्ति व उक्त बनाए गए सॉफ्टवेयर के लाभ से वं चत रहा।

अत: पी0 डबल्यू0 आई0 एम0 एस0 पर कएगये ` 52.88 लाख व्यय के उपरांत भी वभाग के उद्देश की पूर्ति व लाभ न मल पाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

Annexure-1:

System integrator was required to develop and deliver an application that would provide all the software components needed to achieve the desired objective and the deliverable that would allow achieving the objective included the following:

Para 3.2 of the Agreement:

(a) Conceptual document

(b) SRS for functional specifications including of the following modules

1. User management
2. Estimate management
3. Tender management
4. Project management
5. Billing and Accounts management
6. Management information system
7. Data mining and business intelligence

c) Preparation of master and transaction data

d) Configuration and deployment document

e) User manual

f) Training manual

The software enables the user with the following features

(a) Identification of work to be executed with respect to the institutional arrangement and its other details

(b) Software will be able to prepare preliminary and detailed estimates

(c) Current cartage system of PWD should be used in software to work out the analysis if there is any change required shouldbe finalized in SRS with the consents from authorities

(d) Performing rate analysis for items of work based on MORD,MORTH present PWD system for analysis of road bridge and building works market analysis etc.

(e) Initially data for all items in MORTH, MORD data book and identified item of present PWD system at the time of SRS should be filled by the vendor

(f) User can add new consolidated items for analysis

(g) There should be time stamp in rates

(h) Facility to calculate quantities or generate detail of measurement in LBH format for building road and bridges

(i) Preparation of estimates from the analysis and measurement

(j) Facility to prepare estimation with multiple revisions

(k) Provide appropriate templates covering all standard projects

(l) In a particular project estimation and comparative studies can be done by many sets of rate . At least comparative study of three sets of rates is

compulsory . percentage high/low in each item and in selected sets of item can be derived from the software in highly interactive manner .

(m) Preparation of different types of Tender like percentage basis lump sum basis item rate etc.There should be solutions for posting this for e-tendering. Provide facility to split and merge of projects

(n) Tendering activity- NIT dates for issue ,submission, extension, opening of tenders amendments IMD accounting etc.

(o) Evaluation of tenders , work order, Agreements etc.

(p) Project management through scheduling, charts, drawings, monitoring etc. Data from software can be exported to MS project or primavera for further analysis and management. This exported data should contain resources cost and scheduling information

(q) Record measurement and preparation of bills for payment

(r) Linking of measurement with the estimate and accepted tender so as to alert when the amount/ quantity exceeds the sanction

(s) Processing of bills and release of payments to pass the bills based on the monthly progress plus adjustments for recoveries of advance (mobilization etc.)

(t) Tracking of deductions like income tax service tax security deposits liquidated damages and generates consolidated statements

(u) Related MIS : In this module customizable query should be used for further analysis in MS Excel or MS Access

(v) The software must enable users to use the system with validation checks , drop downs, error messages, help messages , alerts etc.

(w) Ability to analyse variances between budgeted values and actual values for the project elapsed time, cost incurred under different heads, Activity-wise completion dates and compare project budgets vs actual expenditure

(x) The software will generate print out with wherever desired

(y) The software should provide interface to the e mail system

(z) The software will have print and help menu and detailed documentations for all the features provided various Reports can be exportable to XLS.DOC.PDF file format

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1: समय पर कार्यवाही सुनिश्चित न कए जाने से वभाग मे 54 मेकस्फाल्ट ड्रमो मूल्य ` **500040/-** की हानि एवं श्री मनवर संह रावत, प्रभारी सहायक से ` 48750/- की वसूली न कया जाना।

कार्यालय के लेखा अ भलेख की जांच मे पाया गया क लोक निर्माण खण्ड, लोहाघाट मे 54 मेकस्फाल्ट ड्रमो मूल्य `500040/- को आर०एम०आर० लेखा (08/2014) मे (कम) अवशेष दर्शाया जाने के प्रकरण अ ग्रम कार्यवाही हेतु भजे गये थे। प्रस्तुत अ भलेखो के अनुसार वगत 2 वर्षो से इस प्रकरण पर अंतिम निस्तारण/ कार्यवाही नहीं की गयी है जब क कनिष्ठ अ भयन्ता जिनके द्वारा 54 मेकस्फाल्ट ड्रमो को प्राप्त कया गया था सं वदा पर थे और नोकरी छोड़ चुके है। आगे अ भलेखो व पत्रावली मे यह भी पाया गया क निर्माण खण्ड, बेजरों के स्टोर से 36 मेकस्फाल्ट ड्रमो की 09/2015 मे चोरी होने के उपरान्त चोरी करने वाले वाहनो के पकड़े जाने पर मात्र चोरी का माल वापस लेकर वभागीय कर्मचारियो द्वारा कोई शकायत उपजीलाधकारी को नहीं की गयी थी जिसके लए मुख्य अ भयन्ता स्तर -1 लोक निर्माण वभाग पौड़ी ने अ धशासी अ भयन्ता, लोक निर्माण वभाग पौड़ी को निर्दे शत (15/10/2015) कया था क 3 कर्मचारियो से 15 दिन मे स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित स्पष्टीकरण कार्यालय को भजने सुनिश्चित करे ले कन इस सन्दर्भ मे कोई आख्या/ स्पष्टीकरण कार्यालय मे उपलब्द नहीं थी। अत: वभाग मे हुई हानि व समय पर कार्यवाही न कए जाने से वभागीय लापरवाही परल क्षत होती है।

इसके अतिरिक्त रुद्रप्रयाग मे 39 मेकस्फाल्ट ड्रमो जिसका मूल्य ` 97500/- की चोरी के सम्बंध मे वभागाध्यक्ष द्वारा स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड शासन को 4/01/2016 के पत्र द्वारा यह अवगत कराया गया क श्री मनवर संह रावत, प्रभारी सहायक से `48750/- की वसूली तथा `48750/- बट्टे खाते मे ढाला जायेगा ले कन 18 महीने के उपरान्त भी उक्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी है।

इस और इं गत कए जाने पर अवगत कराया गया क मुख्य अ भयन्ता लोक निर्माण वभाग पथोरागढ़ को संबन्धित कनिष्ठ अ भयन्ता एवं अ धशासी अ भयन्ता के वरुद संगीन धाराओ मे एफ आई आर दर्ज करने हेतु निर्दे शत कया गया है तथा शासन से अ ग्रम दिशा निर्देश प्राप्त होने पर रुद्रप्रयाग के 39 मेकस्फाल्ट ड्रमोपर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यो क केवल बट्टे खाते मे डालने हेतु शासन से केवल संस्तुति प्राप्त कया जाना था तथा निर्देशों के अनुसार कनिष्ठ अ भयन्ता एवं अ धशासी अ भयन्ता के वरुद संगीन धाराओ मे

एफ आई आर दर्ज कया गया अथवा नहीं का कोई प्रमाण कार्यालय मे उपलब्ध नहीं था (मई 2017)

अत: वभाग मे 54 मेकस्फाल्ट ड्रमो मूल्य `500040/-की हानि एवं श्री मनवर संह रावत, प्रभारी सहायक से `48750/- की वसूली न कया जाना व समय पर कार्यवाही सुनिश्चित न कए जाने से वभागीय श थलता का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान में लाया जाता हे।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 2: माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 379 घोषणाओ पर स्वीकृति प्राप्त न करना, 907 घोषणाओ के स्वीकृति आगणन जिसमे 1065 कार्य होने थे अनारम्भ रहना व कई पूर्ण कार्यो पर स्वीकृत धनरा श से अ धक व्यय कया जाना।

वगत 5 वर्षो (2012-17) में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कुल 1662 घोषणाए की गयी थी जिससे 2026 सड़क निर्माण, सेतु निर्माण, लेपन व अन्य कार्य कए जाने थे। कार्यालय के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच मे पाया गया क उक्त 1662 घोषणाए जिसमें कुल 2026 कार्य कए जाने थे के वरुद्ध मार्च 2017 तक शासन द्वारा केवल 1283 घोषणाए की कुल 1600 कार्यों पर स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्षवार घोषणाओं का ववरण एवं कार्यो की भौतिक उपलब्धि /प्रगति निम्नवत थी।

माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा की गयी घोषनाओ का ववरण एवं भौतिक प्रगति												
वर्ष	कुल घोषनाए		घोषनाए जिन पर स्वीकृतिया प्राप्त		स्वीकृति हेतु घोषनाए		स्वीकृतिया प्राप्त घोषनाए की भौतिक प्रगति					
							कार्य पूर्ण		कार्य प्रगतिपर		कार्यप्रारम्भ नहीं	
	संख्या	कार्य	संख्या	कार्य	संख्या	कार्य	संख्या	कार्य	संख्या	कार्य	संख्या	कार्य
2012	302	392	240	313	62	79	32	47	45	63	163	**203**
2013	205	270	170	219	35	51	46	56	46	64	**78**	**99**
2014	334	383	302	347	32	36	44	50	72	88	**186**	**209**
2015	697	857	534	684	163	173	27	53	54	104	**453**	**527**
2016	124	124	37	37	87	87	2	2	8	8	**27**	**27**
कुल	**1662**	**2026**	**1283**	**1600**	**379**	**426**	**151**	**208**	**225**	**327**	**907**	**1065**

उपरोक्त ता लका के अनुसार वगत 5 वर्षो में माननीय मुख्यमंत्री जी की 1662 घोषणाओ के सापेक्ष खण्डो द्वारा शासन से 1283 घोषणाओ के 1600 कार्यो पर ` 3082.49 करोड़ की स्वीकृतिया प्राप्त की गई थी जब क खण्डो द्वारा वगत 5 वर्षो मे केवल 376 घोषणाओ पर ही कार्य कया जिसमे 426 कार्य पर ` 655.94 करोड़ का व्यय कया गया था। प्रस्तुत अ भलेखो के अनुसार अवशेष स्वीकृति 907 घोषणाओ जिसमें 1065 कार्य होने थे, अभी भी अनारम्भ थे। लेखापरीक्षा द्वारा यह भी आगे पाया क कार्यालय द्वारा इन स्वीकृत कार्यो को जल्द से जल्द (on top priority basis) पूरा कए जाने हेतु खण्डों को कोई दिशानिर्देश/कार्यवाही अथवा कोई पत्राचार नहीं कया गया हैं। जो यह दर्शाता है क वभाग इन कार्यो को सही महत्व नही दे रहा है जो वभागीय लापरवाही को भी परल क्षत करता है।

इस के अतरिक्त अ भलेखो मे यह भी पाया गया क कई कार्यो के लए खण्डो द्वारा समय पर कार्य प्रारम्भ न कए जाने के कारण नए दरो के आदर पर आगणन पुनः स्वीकृति हेतु शासन को प्रे षत कया गया है। जब क व भन्न वर्षो की 379 घोषणाओ जिसमें 426 कार्यों का आगणन शासन को स्वीकृति हेतु प्रे षत कया जाना अभी भी बाकी है। जब क कई पूर्ण कार्यो जो समय पर आरम्भ नहीं कए गए थे उनपर शासन द्वारा स्वीकृत धनरा श से भी अ धक व्यय कया गया है।

इस और इं गत कए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया क व्यय आ धक्य के नियंत्रण के लए संबन्धित अ धशासी अ भयन्ता व अधीक्षण अ भयन्ता परोक्ष रूप से उत्तरदायी है तथा कसी भी प्रकार का व्यय आ धक्य कए जाने के निर्देश निहित होता है जब क अवशेष स्वीकृति हेतु 379घोषणाओ जिसमें 426 कार्य होने है के लए समय समय पर समीक्षा बैठको मे निर्देश जारी कया गए है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यों क समय समय पर समीक्षा बैठको मे निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी अवशेष स्वीकृति 379 घोषणाओ व 907 घोषणाओ के स्वीकृति आगणन जिसमें 1065 कार्य होने थे अभी भी अनारम्भ थे, के लए खण्डों द्वारा उ चत कार्यवाही न कए जाने के लए कार्यालय द्वारा उक्त लापरवाही को संज्ञान मे न लेते हुए कोई उ चत कार्यवाही खण्डों मे तैनात अ धकारियों पर नहीं की गयी थी जिस कारण से नए दरों के आधार पर आगणन बार बार स्वीकृति हेतु शासन को पुन:प्रे षत कये जा रहे है।

अत: माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 379 घोषणाओं पर स्वीकृति प्राप्त न करना, 907 घोषणाओ के स्वीकृति आगणन जिसमे 1065 कार्य होने थे अनारम्भ रहना व कई पूर्ण कार्यो जो समय पर आरम्भ नहीं कए गए थे पर शासन द्वारा स्वीकृत धनरा श से भी अ धक व्यय कया जाने पर कार्यालय द्वारा खण्डो के द्वारा नि र्गत दिशा निर्देशों पर उ चत कार्यवाही न कए जाने पर उक्त खण्डों मे तैनात अ धकारियों पर उ चत कार्यवाही न कए जाने की श थलता को संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 3- संविदा कार्मिको की अधिक तैनाती के फलस्वरूप अतिरिक्त वेतन भुगतान पर ₹ **30.23** का अनियमित व्यय।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या-**2248/III(1)/07-75(**अधि**)/07**दिनांक-**14** नवम्बर **2007** के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत संगठनात्मक ढांचे में सीधी भर्ती से रिक्त चल रहे सहायक अभियंता(सिविल) व कनिष्ठ अभियंता (सिविल) की कमी को पूर्ण करने के उद्देश्य से सहायक अभियंता(सिविल) के 13 तथा कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 258 रिक्त पदो पर एक वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से नियमित चयन जो भी पहले घटित हो ,की तिथि तक के लिए संविदा के आधार पर अल्प कालिक तैनाती किए जाने की अनुमति दी गयी थी|

प्रमुख अभियंता(विभागाध्यक्ष) देहरादून की लेखा अभिलखो की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा शासनादेश के अनुसार रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर 13 पद सहायक अभियंता (सिविल) व 180 पद कनिष्ठ अभियंता(सिविल) की तैनाती की। इसके पश्चात विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पदो को संविदा से भरने हेतु विभिन्न कार्यालयोदेशो द्वारा 2011 में 78 पदों हेतु, 2012 में 272 पदों हेतु, 2013 में 130 पदों हेतु एवं 99 पदों को विज्ञप्ति जारी की लेकिन विज्ञप्ति करने से पूर्व शासन से अनुमति नहीं ली गयी थी। उसके उपरांत कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर लोक सेवा आयोग से चयनित 238 अभियार्थियों की सूची शासन के पत्र संख्या-/691**III(1)/13-131**)अधि 06/.टी.सी .दिनांक 31/07/2013 -के द्वारा भेजी गयी थी जिसमे से 234 अभियार्थियों ने अपनी सेवाये प्रदान की। जबकि संविदा पर तैनात कार्मिको की सेवाए समाप्त नहीं कि गयी थी। जो उपरोक्त शासनादेश का उल्लंगन है। इसके उपरान्त उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या-**1813/111(1)/15-190(PWD)/2001** दिनांक 5 दिसम्बर 2015 एवं संख्या-**181**4/**111(1)/15-190(PWD)/2001** दिनांक 15-दिसम्बर 2015 के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में क्रमश संवेर्गीय एवं नि :संवेर्गीयपदों का पुनर्गठन किया गया था जिसमे कनिष्ठ अभियंता (सिविल) हेतु क्रमश 888 एवं 184 पदो (कुल 1072 पद) की स्वीकृति दी गयी थी। उक्त के परिपेक्ष्य में प्रमुख अभियंता (विभागध्यक्ष) देहरादून की लेखा परीक्षा की जाँच में पाया

गया क दिनांक **15.12.2015** से **31.03.2017** के दौरान कुल स्वीकृत पद 1072 के सापेक्ष 1085 पदों को भरा गया हैं जो की स्वीकृत पदों से भी **13** अ धक हैं |

लेखा अ भलेखो मे आगे यह भी पाया गया क शासन के पत्रांक संख्या-**2367/II(1)/13-75(**अ ध.**)/07** दिनांक-**01/11/2013** के द्वारा वभागाध्यक्ष से सूचना मांगी गयी थी क लोक सेवा आयोग से चयन होने के उपरांत सं वदा के आधार पर तैनाती के कारण कनिष्ठ अ भयंता के कुल स्वीकृत पद से अ धक का र्मक हो गए हैं अथवा नहीं । जब क अ भलेखो मे इस संदर्भ मे शासन हेतु कोई उल्लेख नहीं कया गया है और न ही इस सम्बंध मे स्वीकृत पदों से अ धक तैनाती हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

अत दिनांक **15.12.2015** से **31.03.2017** तक स्वीकृत पदों के अतिरिक्त भरे गए **13** पदों हेतु कुल वेतन ` **30,22,500/=(**तीस लाख बाइस हजारपांच सौ मात्र (का उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या -**615/III(1)/12-75(**अ ध.**)/07** दिनांक-**04** दिसम्बर **2012** के अनुसार सं वदा पर भरे गए पदों हेतु प्रति महीने निर्धारित` **15000/=** के अनुसार सं वदा का र्मक पर वेतन वतरण पर अनिय मत व्यय कया गया है।

उपरोक्त के संबंध मे इं गत कए जाने पर इकाई ने अवगत कराया क वर्तमान मे कार्यरत कनिष्ट अ भयंता(स वल) मे से 215 प्रभारी सहायक अ भयंता बनाये जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा कनिष्ट अ भयंता(स वल) का कार्य न कर सहायक अ भयंताओ का कार्य कया जा रहा हैं। जिससे कनिष्ट अ भयंताओ की आवश्यकता थी। इकाई का उत्तर मान्य नही हैं क्यो क यदि सहायक अ भयंताओ की कमी थी तो शासन से स्वीकृति के पश्चात या तो सहायक अ भयंताओ के पद पर सीधी भर्ती करते या सहायक अ भयंता के पद पर पदोन्नति की जा सकती थी।

भाग– दो 'ब'

प्रस्तर 4 :– निर्माण कार्यो की प्रभावी गुणवत्ता जांच में शिथिलता बरतने से शासनादेश के मूल उद्देश्य की पूर्ति में विफल रहना।

निर्माणाधीन कार्यो में मानक अनुसार सर्वोच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में पर्याप्त संख्या में स्टेट क्वालिटी मानीटर (एस. क्यू.एम.) उपलब्ध न होने व नेशनल क्वालिटी मानीटर (एन.क्यू.एम.) / स्टेट क्वालिटी मानीटर (एस.क्यू.एम.) के द्वारा किए गए निरीक्षणों एवं परिणामों की समीक्षा करने पर पाया गया था कि प्रचलित व्यवस्था पर्याप्त प्रभावी नहीं है और प्रचलित कार्यो की गुणवत्ता को लेकर विभिन्न प्रकार की शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी जिनका शीघ्र निराकरण करना अत्यन्त आवश्यक था। अतः शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि मोटर मार्ग / सेतु निर्माण के कार्यो में सर्वोच्च गुणवत्त सुनिश्चित करने हेतु प्रचलित कार्यो की प्रभावी जांच, कार्य का मौके पर प्रभावी पर्यवेक्षण तथा शिथिलता बरतने वाले कार्मिक / ठेकेदारों के उत्तरदायित्व निर्धारण की व्यवस्था को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी किया जाय, इस दृष्टि से उत्तराखण्ड शासनादेश संख्याः 3242 / 111(2) / 14 / लो.नि.वि. / 2014 दिनांक : 26 मई 2014 तथा उत्तराखण्ड शासनादेश संख्याः 4807 / 111(2) / 14 / लो.नि.वि. / 2014 दिनांक : 29 अगस्त 2014 में प्राविधानित किया गया था कि –

(1) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के अधीन गठित क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ द्वारा लोक निर्माण विभाग, ए.डी.बी. एवं विश्व बैंक पोषित सभी कार्यो की गुणवत्ता की जांच हेतु एक नोडल इकाई के रूप में कार्य किया जायेगा।

(2) मुख्य अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं को अपने–अपने क्षेत्र / वृत्त के यथासंभव निकटवर्ती क्षेत्रों में ही गुणवत्ता की चेकिंग हेतु कार्य प्रमुख सचिव, लो.नि.वि. के अनुमोदन उपरान्त, प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि. द्वारा आवंटित किए जायेगे।

(3) प्रति माह मुख्य अभियन्ताओं को उनके कार्य क्षेत्रान्तर्गत चार कार्य एक साथ ही आवंटित किए जायेंगे जिनकी वह एक माह के अन्तर्गत जांच करके गुणवत्ता आख्या निदेशक क्वालिटी कन्ट्रोल एवं डिजायन को उपलब्ध करायेंगे।

प्रमुख अभियन्ता / विभागाध्यक्ष कार्यालय के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि मुख्य अभियन्ता जांचकर्ता अधिकारी स्तर पर कार्यो की गुणवत्ता की जांच हेतु 715 आवंटित कार्यो के सापेक्ष मात्र 636 कार्य की जांच रिपोर्ट ही प्रमुख अभियन्ता उत्तराखण्ड स्तर पर गठित क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ (नोडल ईकाई) को प्राप्त हुई थी, जिसमें से मुख्य अभियन्ता टिहरी को आबंटित कुल 50 कार्यो के सापेक्ष मात्र 28 कार्य की जांच रिपोर्ट ही प्रदान की गयी। जबकि उक्त शासनादेश के अनुसार एक माह के अन्तर्गत जांच करके गुणवत्ता आख्या

निदेशक क्वालिटी कन्ट्रोल एवं डिजायन को उपलब्ध कराना था। इस प्रकार मुख्य अभियन्ता स्तर पर आबंटित जांच कार्यो के सापेक्ष कम जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार अधीक्षण अभियन्ता जांचकर्ता अधिकारी स्तर पर कार्यो की गुणवत्ता की जांच हेतु 1599 आवंटित कार्यो के सापेक्ष मात्र 1375[3] कार्य की जांच रिपोर्ट ही प्रमुख अभियन्ता उत्तराखण्ड स्तर पर गठित क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ (नोडल ईकाई) को प्राप्त हुई थी जबकि उक्त शासनादेश के अनुसार एक माह के अन्तर्गत जांच करके गुणवत्ता आख्या निदेशक क्वालिटी कन्ट्रोल एवं डिजायन को उपलब्ध कराना था। इस प्रकार अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर आबंटित जांच कार्यो के सापेक्ष भी कम जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

, उपरोक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर ईकाई ने अवगत कराया कि मुख्य अभियन्ता टिहरी को लम्बित कार्यो की जॉच आख्याएं उपलब्ध कराने हेतु समय–समय पर विभिन्न पत्रों से अनुस्मरण कराया गया, किन्तु उनके द्वारा लम्बित जॉच आख्याएं प्रस्तुत नही की गयी, जिस हेतु मुख्य अभियन्ता टिहरी द्वारा अपेक्षित कार्यवाही न किये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के पत्र संख्या 2963/गु0नि0/जॉच दिनांक 27.01.2017 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को लिखा गया। इसी प्रकार उक्त अधीक्षण अभियन्ताओं को लम्बित कार्यो की जॉच आख्याएॅ उपलब्ध कराने हेतु पत्रों के माध्यम से कई बार अनुस्मरण कराया गया, किन्तु उनके द्वारा जॉच आख्याएं प्रस्तुत नही की गयी। ईकाई के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि शासनादेश के मूल उद्देश्य की पूर्ति नही हो पायी साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही भी सुनिश्चित नही की गयी थी।

अतः निर्माण कार्यो की प्रभावी गुणवत्ता जांच में शिथिलता बरतने से शासनादेश के मूल उद्देश्य की पूर्ति में विफल रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

---

[3]अधीक्षण अभियन्ता नवम् वृत्त, लो.नि.वि. देहरादू को आबंटित कुल 74 कार्यो के सापेक्ष मात्र 52 कार्य की जांच रिपोर्ट, अधीक्षण अभियन्ता सिविल वृत्त, लो.नि.वि. हरिद्वार को आबंटित कुल 70 कार्यो के सापेक्ष मात्र 56 कार्य की जांच रिपोर्ट, अधीक्षण अभियन्ता सप्तम् वृत्त, लो.नि.वि. गोपेश्वर को आबंटित कुल 70 कार्यो के सापेक्ष मात्र 59 कार्य की जांच रिपोर्ट, अधीक्षण अभियन्ता प्रथम् वृत्त, लो.नि.वि. अल्मोड़ा को आबंटित कुल 74 कार्यो के सापेक्ष मात्र 57 कार्य की जांच रिपोर्ट, अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त, लो.नि.वि. पिथौरागढ़ को आबंटित कुल 66 कार्यो के सापेक्ष मात्र 35 कार्य की जांच रिपोर्ट तथा अधीक्षण अभियन्ता ए.डी.बी. वृत्त, लो.नि.वि. (यू0ई0ए0पी0/आपदा) अल्मोड़ा को आबंटित कुल 74 कार्यो के सापेक्ष मात्र 58 कार्य की जांच रिपोर्ट, ही प्रदान की गयी।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
43/2005-06 15/2008-09 31/2012-13 51/2015-16	1 - - -	3 - 1 1,2	- 1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			कोई लम्बित प्रस्तर निस्तारित नहीं हुआ था। वभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया क पत्रांक 4401 8(1)सा.प्र./2017 दिनांक 09/05/2017 द्वारा उत्तरालेख महालेखाकार कार्यालय को प्रे षत कया गया है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग, देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री हेमन्त कुमार उप्रेती,	प्रमुख अ भयन्ता/वभागाध्यक्ष (वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक)

(ii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

- लागू नहीं-

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग, देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी
आ र्थक खण्ड-**II**